प्रेस नोट

आज दिनाँक 06.09.2024 को अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में वाराणसी शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु यातायात लाइन सभागार में बृहद स्तर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उपायुक्त यातायात, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात , समस्त सर्किल प्रभारी , आटो/ ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी व चालक , प्रिन्ट मिडिया ,इलेक्ट्राँनिक मिडिया ,यूटूबर , इनफ्लूएन्सर ,जनप्रतिनिधि ,व्यापार मण्डल के पदाधिकारी, जनसामान्य आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शूभारम्भ करते हुए अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात ने ई-रिक्शा मैनेजमेन्ट प्लान के तहत काशी जोन को चार भागों में विभक्त कर वाहनों पर कलर कोड व बार कोड लगाकर जनपद वाराणसी में रजिस्टर्ड 26,340 ई-रिक्शा को रजिस्ट्रेशन के पते के अनुसार काशी जोन में चलाये जाने हेतु पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन के द्वारा सबको अवगत कराया गया जो निम्नवत है -

रूट न0-01, कलर कोड-लाल

- कोतवाली ,जैतपुरा एवं आदमपुर थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत वाहन स्वामी के ई-रिक्शा-
- कुल पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या -5071

रूट न0-02, कलर कोड-पीला

- चेतगंज , लक्सा,चौक ,दशाश्वमेध तथा सिगरा थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत वाहन स्वामी के ई-रिक्शा-
- कुल पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या-3362

रूट न0-03, कलर कोड-हरा

- भेलूपुर थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत वाहन स्वामी के ई-रिक्शा-
- कुल पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या-2786

रूट न0-04, कलर कोड-नीला

- लंका तथा चितईपुर थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत वाहन स्वामी के ई-रिक्शा-
- कुल पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या-2507

शहर में यातायात के सुधार के दृष्टिगत व्यापार मण्डल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा भी ई-रिक्शा से होने वाली समस्या ,नाबालिक द्वारा मनमाने तरिके से वाहन चलाना ,नियमों का पालन न करना, चालक द्वारा यात्रियों के साथ लूट-पाट व जहरखुरानी करना, अश्लील गाना बजाना, वाहन में बड़े हार्न लगाना आदि समस्यओं के बारे में बताया गया। आटो, ई-रिक्शा यूनियन पदाधिकारी भगवान सिंह, ईश्वर सिंह ,घनश्याम आदि द्वारा सड़क केमध्य डिवाईडर बनाने बाहर के ई-रिक्शा द्वार शहर में जाम लगाने ,नगर निगम द्वार स्टैण्ड न बनाने ,नये ई- रिक्शा रजि0 बन्द करने , फैण्टम दस्ते को सक्रिय करने ,आटो / ई-रिक्शा चालकों को प्रशिक्षित करने, सिटी बसों को बाहर करने एवं लखनऊ व दिल्ली की भाँति क्रेन को और सक्रिय करने आदि का सुझाव दिया गया। प्रिन्ट मिडिया के तरफ से सुझाव दिया गया कि ई-रिक्शा चालकों द्वारा वाहन चलाने के दौरान शाम होने के बाद हेडलाइट नहीं जलायी जाती है तथा नाबालिक द्वारा ई-रिक्शा का संचालन कराया जाता है। कार्यक्रम के अंत में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा सुझाव दिया गया कि ये शहर आपका है और आपको ही इसे स्वच्छ, सुन्दर व जाम मुक्त बनाना है। आप सभी के सहयोग के बिना इस शहर को स्वच्छ, सुन्दर व जाम मुक्त बनाया जाना सम्भव नहीं है। ई-रिक्शा रूट निर्धारण का प्लान आप सभी के हित में है इसको अपनाने में शहर के यातायात व्यवस्था में आमूल चूर परिवर्तन आयेगा। इस पर यातायात सभागार में मौजूद सभी पदाधिकारियों ने इस व्यवस्था को अपनाने तथा लागू कराने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की तथा जल्द से जल्द लागू कराने का अनुरोध किया गया।

दिनांकः सितम्बर   ,2024

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट- वाराणसी।